न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1893/2017

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. प्रकाश पुत्र मोतीराम 2. छोटीदेवी पत्नी मोतीराम जातियान–घांची, निवासीगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. मेहनलाल पुत्र कानाराम 2. मगाराम पुत्र कानाराम जातियान–घांची, निवासीगण– जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 3. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.13/12/2017

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी, सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/07/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 517/10 रकबा 3–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जो सम्पूर्ण आराजी अकेले प्रार्थीगण के हक हिस्से की है। जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की आराजी के पडौस में चिपकते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 517/11 रकबा 13–04 बीघा तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 की खसरा नम्बर 517/9 रकबा 2–18 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त है। नकल जमाबंदी व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाति आराजी थी जिसका मूल खसरा नम्बर 517 था बाद में पक्षकारान् ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया एवं बंटवाड़ा से अपनी जमीनें अलग–अलग कर मौके पर नाप चौप कर माठे कायम कर दी। जो पूर्व में बंटवाड़ा किया था वह प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से एवं सुविधा अनुसार किया था। तथा मौके पर भी अपनी अपनी जमीनें अलग अलग कर माठे कायम कर राजस्व रेकर्ड में भी अपने बंटवाड़ा का इन्द्राज करवा लिया, जिसके बाद उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का अलग–अलग हिस्सा इन्द्राज हो गया। जो हिस्सा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित है। जिसके अनुसार मौके पर भी कायम है। नकल जमाबंदी अप्रार्थीगण की खातेदारी की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का बंटवाड़ा करवाने के बाद अपने अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करना शुरू कर दिया उसके बाद अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण से सीमा को लेकर विवाद करने लगे, तथा अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थीगण की आराजी के कुछ भाग में अर्थात् खसरा नम्बर 517/10 की माठ को भी तोड़ दिया एवं सीमा को लेकर विवाद करने लग गये,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आये दिन पेड़ पौधे काट देते है, एवं अपने मवेशी भी प्रार्थीगण के खेत में छोड़ देते है। जिस पर भी प्रार्थीगण ने उनको मना किया एवं प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाया तथा नाप चौप करवाने बाबत् भी निवेदन किया। परन्तु उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की सीमा को लेकर विवाद करने लग गये तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार जैतारण को अपनी आराजी का नाप चौप करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु तहसीलदार ने कहा कि जब सभी पक्षकारान् सहमत हो तो ही हम नाप चौप कर सकते है। जबकि अप्रार्थीगण नापचौप पर भी सहमत नहीं हो रहे है एवं प्रार्थीगण की आराजी की माठ को तोड़कर धीरे-धीरे प्रार्थीगण की जमीन को अपनी जमीज में मिलाकर कब्जा करने को आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा जब भी अपनी आराजी में काश्त करने के लिए अपने साधन लेकर खेत में जाता है तो अप्रार्थीगण बिना किसी वजह के विवाद करते है। एवं प्रार्थीगण की आराजी के चारों तरफ लगी मेड़बंदी को भी प्रार्थीगण ने दिनांक 20/11/2017 को बिखेर दिया एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच की माठ पर खड़े पेड़ पौधों को भी काट दिया एवं अप्रार्थीगण जबरन जानबुझकर आये दिन प्रार्थीगण की मेड़बंदी को बिखेर देते है तथा हर तरफ से आये दिन प्रार्थीगण की आराजी में सीमा के विवाद को लेकर के दखंलदाजी व हस्तक्षेप करते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थीगण की आराजी को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करते है। यदि अप्रार्थीगण इस तरह प्रार्थीगण की मेड़बंदी को हकाकर सीमा विवाद करेंगे एवं मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं करने देंगे तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कतें होगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मौके पर सीमाज्ञान कराने, पत्थरगढी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान् के समक्ष बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण के सादर पेश है। अप्रार्थीगण हल्का पटवारी से नाप चौप में भी सहमति नहीं हो रहे है। एवं दिनांक 20/11/2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उसकी आराजी से बेदखल करने एवं नाप चौप से सहमत नहीं होने एवं और माठ बिखेर देने तथा मौके पर पेड़ काटकर ले जाने एवं मवेशियों को खुला छोड देने की धमकियां दी है तथा बार बार प्रार्थीगण की आराजी में हस्तक्षेप कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण की आराजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे। एवं मौके पर प्रार्थीगण की आराजी की माठ कायम की जावे। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थना पत्र माफिक व्याय शूल्क पर पेश है। एवं श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण को आवाजे दिलाई गई, आज अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजुद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर बन्द किया गया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया कि विवादित खसरना नम्बर का प्रार्थी रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार हैं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की मांठ को लेकर विवाद करने हैं। मांठ को बिखेर कर मवैशीयों को छोड देते हैं। प्राथीगर्ण की खातेदार भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी, पर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। लिहाजा तहसीलदार जैतारण को उभय पक्षकारान के रूबरू विवादित आराजी का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 517/10 रकबा 03–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल का नियमानुसार उभय पक्षकारान के रूबरू सीमांज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/07/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner